



उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
// विज्ञप्ति //

क्रमांक : 422/परीक्षा/2016

जबलपुर, दिनांक-26/10/2016

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अनुवादक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-3(हार्डवेयर टेक्नीशियन), सहायक ग्रेड-3, व ई.पी.ए.बी.एक्स. ऑपरेटर के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति वर्ष-2016

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 27/11/2016 (रविवार)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि- 30/11/2016 (बुधवार)
ऑनलाईन मुख्य परीक्षा दिनांक : बाद में अधिसूचित किया जावेगा
उपरोक्त (नियमित) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

नोट:- समस्त पदों हेतु पदवार पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

खण्ड "अ"

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से दिनांक 27/11/2016 को रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को दिनांक 30/11/2016 को रात्रि 11.59 बजे तक सुधारा जा सकता है। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कार्य के लिए एमपीऑनलाईन को ₹ 50/- (पचास) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

परीक्षा-शुल्क और पोर्टल शुल्क-

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व सहायक ग्रेड-3 के पदों हेतु
अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए रूपये 600/- एमपीऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क एवं रूपये 200/- परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 600+200= ₹ 800/-(आठ सौ) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/दिव्यांग आवेदकों के लिए एमपीऑनलाईन को देय केवल पोर्टल शुल्क ₹ 600/- (छः सौ) देय होगा।

अनुवादक, सहायक ग्रेड-3(हार्डवेयर टेक्नीशियन) व ई.पी.ए.बी.एक्स.ऑपरेटर के पदों हेतु अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए रूपये 100/- एमपीऑन लाईन को देय पोर्टल शुल्क एवं रूपये 100/- परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 100+100=₹ 200/- (दो सौ) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/दिव्यांग आवेदकों के लिए एमपीऑनलाईन को देय केवल पोर्टल शुल्क ₹ 100/- (सौ) देय होगा।

यदि उक्त राशि से अधिक की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाईन के निम्न दूरभाष नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्र. (0755) 4019400

खण्ड "ब"

विज्ञापित पदों का विवरण

एक:- पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें:-

पदनाम एवं वेतनमान	रिक्त पद	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता
अनुवादक 9300-34800 + ग्रेड पे 3200	07	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. हिन्दी व अंग्रेजी का ज्ञान। 3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान।
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + ग्रेड पे 2400	02	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी(MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. अंग्रेजी कम्प्यूटर टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण का स्कोर कार्ड।
सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्नीशियन) 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी.ए./बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रानिक्स) परीक्षा उत्तीर्ण। या मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर में उत्तीर्ण डिप्लोमा। 2. हार्डवेयर मेन्टेनेन्स का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
सहायक ग्रेड-3 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	50	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी(MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण का स्कोर कार्ड। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
ई.पी.ए.बी.एक्स. ऑपरेटर 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	01	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. संबंधित ट्रेड (ई.पी.ए.बी.एक्स.ऑपरेटर) में डिप्लोमा उत्तीर्ण।
कुल पद	61	

संबंधित पदों हेतु टीप :-

- (1) उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (2) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-3-11 08/3/एक दिनांक 12.06.2009 तथा परिपत्र क्र. सी-3-8/2013/1/3 दिनांक

01.07.2013 के प्रकाश में केवल निम्नलिखित संस्थाओं से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे :-

1. Diploma from all Universities recognized by UGC.
2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
3. Diploma level examination from DOEACC.
4. M. O. M. Course from Govt. Polytechnic College.
5. Computer Operator & Programming Assistant (COPA) from I.T.I.

विश्वविद्यालय/डोएक से परीक्षा उत्तीर्ण होना तभी माना जावेगा जबकि संबंधित विश्वविद्यालय/डोएक से प्रमाण पत्र/अंकसूची जारी की गई हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी.ए., बी.कॉम. या बी.एस.सी. में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। (जैसा कि माननीय म0प्र0उच्चन्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं0 1925/2010, आई0एल0आर0 (2011) म0प्र0 1847 (डी0बी0) में अभिनिर्धारित किया गया है)

दो:-

- (1) म.प्र. राज्य के बाहर के अजा./अजजा./अपिव. के आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित है।
- (2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा./अजजा./अपिव. के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।
- (3) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हों।

तीन: -

- (अ) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- (ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम सूचनापत्र देने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
- (स) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

चार: -

प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित पदों की अनुमानित संख्या :-

क्र0	पद का नाम	अनारक्षित		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग
		सामान्य	दिव्यांग	सामान्य	दिव्यांग	सामान्य	दिव्यांग	सामान्य	दिव्यांग	
1	अनुवादक	4	-	1	-	1	-	1	-	7
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	-	-	-	-	-	1	-	2
3	सहायक ग्रेड-3	23	2	7	-	7	1	10	-	50
4	सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्नीशियन)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	ई.पी.ए.बी.एक्स.ऑपरेटर	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल	30	2	8	-	8	1	12	-	61

पांच:-

- (1) मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत पद समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईज) आरक्षित है।
- (2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व सहायक ग्रेड-3 की ऑनलाइन परीक्षा के केन्द्र जबलपुर के शैक्षणिक संस्थान होंगे। परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में अंतिम निर्णय एमपीऑनलाइन का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

- (3) **अनुवादक, सहायक ग्रेड-3(हार्डवेयर टेक्नीशियन) व ई.पी.ए.बी.एक्स ऑपरेटर** की परीक्षा किसी शैक्षणिक संस्थान या उच्च न्यायालय जबलपुर के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित कराई जावेगी तथा परीक्षा की तिथियों की जानकारी उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी।

छ: —

(1) आयु की गणना :-

दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :-

1	पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग)	35 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अ0पि0वर्ग0)	40 वर्ष
3	महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	35+10 = 45 वर्ष
4	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अ0पि0वर्ग0)	35+5+10 = 50 वर्ष
5	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	35+10+5 = 50 वर्ष
6	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग)(अनु0जाति/अनु0जनजाति/ अ0पि0वर्ग0)	35+5+10+5 = 55 वर्ष

नोट:-शासकीय सेवारत कर्मचारियों को 38 वर्ष तथा दिव्यांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत किये गये परिपत्रों के आलोक में आयु-सीमा में छूट दी जायेगी।

टीप :- यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दिया है तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

सात: -अनर्हताएँ -

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (इम्प्रसोनेशन) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
7. परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र

पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।

ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :-

आवेदन पत्र वेबसाइट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये www.mponline.gov.in पर **Authorized Kiosk list Link** देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-

आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज

नागरिक सेवाएँ

 ऑप्शन में क्लिक करें फिर ड्रापडाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् **MP High Court** के **Logo** पर **Click** करें तत्पश्चात् **Application and Services** ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए दी हुई **link** पर **click** करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले **Advertisement** को क्लिक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरान्त ही **Online Apply** करने के लिए **Form** को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना **नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित** अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के **Link** (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। **Hyperlink** को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्कैन कर **.jpg** फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Browse** बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सेलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरान्त **Submit** बटन दबायें। इससे आवेदक को एक **आवेदन फार्म नम्बर** प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये **Proceed to Payment** बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे ।

1- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

2- इंटरनेट बैंकिंग।

3- **क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये **Proceed to Payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन सम्बन्धी जानकारी भी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।**

4- **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-** आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त **Proceed to Payment** बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लाग-इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। **इसका प्रिन्ट अवश्य लें।**

5- **एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-** आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेज में जाकर **एप्लीकेशन** में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियाँ फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ सही-सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ

ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

- 6— यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 30.11.2016(बुधवार) रात्रि 11.59 बजे तक संबंधित त्रुटि को एम0पी0ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क (50 रूपये) जमा कर सुधार सकेंगे। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।
- 7— यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
- 8— इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम0 पी0 ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारी भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- 9— ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हे ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाईन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा न करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :- यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल सम्पर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाईन के होमपेज पर "संपर्क करें" में क्लिक करें तथा "शिकायत" विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल— 402026, फोन (0755) 4019400

खण्ड—“स”

परीक्षा की योजना :- यह परीक्षा पदवार एक अथवा दो चरण में होगी :-

1—ऑनलाईन परीक्षा (100 अंक)

एक:—

1. ऑनलाईन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र – डाटा एंट्री ऑपरेटर व सहायक ग्रेड-3

1. डाटा एंट्री ऑपरेटर व सहायक ग्रेड-3 के पदों हेतु जिन-जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन किया है उनमें से केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से दस्तावेज मंगाये जावेंगे जो ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात् मेरिट में स्थान प्राप्त करेंगे इस हेतु 1:3 के अनुपात में कटेगरी वाईस अभ्यर्थियों से एक तिथि निर्धारित करते हुए आवेदन पत्र व दस्तावेज मंगाये जावेंगे एवं इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें अपात्र किया जा सकेगा भले ही वे अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार चयनित किये जाने योग्य क्यों न हो।

2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी कटेगरी सहित लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन-पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा। उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

दो: — 1. ऑनलाईन परीक्षा का पाठ्यक्रम – (डाटा एंट्री ऑपरेटर, व सहायक ग्रेड-3 के पदों हेतु)

ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जारी किये जावेंगे। ऑनलाईन परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है :-

S.No	Post	Subject	Marks	Time
1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	English Typing + General English and computer related paper	40+60 = 100	10+50= 1:00 Hrs
2	सहायक ग्रेड-3	Hindi Typing + English Typing + General English and computer knowledge	40+40+ 20 =100	10+10+ 20=40 Minutes

2. परीक्षा हेतु आवेदन पत्र – अनुवादक, सहायक ग्रेड-3(हार्डवेयर टेक्नीशियन) व ई.पी.ए.बी.एक्स. ऑपरेटर

अनुवादक, सहायक ग्रेड-3(हार्डवेयर टेक्नीशियन) व ई.पी.ए.बी.एक्स. ऑपरेटर के पदों हेतु जिन-जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन किया है वह समस्त अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी कटेगरी सहित लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन-पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित करेंगे। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के नाम से संबोधित करते

हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण परीक्षा सेल द्वारा किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं उन्हें अपात्र किया जायेगा तथा पात्र व अपात्र अभ्यर्थियों की सूचियां कारण उल्लेखित करते हुए उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम – (अनुवादक, सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्नीशियन) व ई.पी.ए. बी.एक्स ऑपरेटर के पदों हेतु)

परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जारी किये जावेंगे। परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है :-

S.No	Post	Subject	Marks	Time
1	अनुवादक	1. Translation (Hindi to English)	30	2:00 Hrs
		2. Translation (English to Hindi)	25	
		3. Vocabulary, Maxims, Legal terminology, Proverbs, Quotations	25	
		4. Computer Operation Knowledge	10	
		5. Interview	10	
2	सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्नीशियन)	1. Maintenance of Hardware 2. Installation of Software 3. Basic trouble shooting 4. Networking 5. Operating System	60	1:00 Hrs.
		Practical exam	40	30 Minute
3	ई.पी.ए.बी.एक्स. ऑपरेटर	1. Written (Subject) Test 2. Practical	60+40=100	60+30=1:30 Hrs.

नोट :-

- (1) सभी पदों के संबंध में परीक्षा केन्द्र के निर्धारण का अधिकार **प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा)** को होगा। परीक्षा की दिनांके एवं परीक्षा केन्द्र की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।
- (2) **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** की ऑनलाईन परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का अंग्रेजी ऑनलाईन टाईपिंग मैटर टाईप करना होगा, जिसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं। इसके पश्चात् एक सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान का ऑनलाईन प्रश्नपत्र होगा जो कि 60 अंकों का होगा इसे अभ्यर्थियों को 50 मिनट में हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षण 1:00 घंटे का होगा। अंग्रेजी टाईपिंग तथा सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऑनलाईन किया जावेगा।
- (3) **सहायक ग्रेड-3** की ऑनलाईन परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 300 शब्दों का ऑनलाईन हिन्दी टाईपिंग मैटर एवं 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का अंग्रेजी ऑनलाईन टाईपिंग मैटर टाईप करना होगा, जिसके लिए 40-40 अंक निर्धारित हैं। इसके पश्चात् एक सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर का ऑनलाईन प्रश्नपत्र जो कि 20 अंकों का होगा हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षण 40 मिनट का होगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग तथा सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऑनलाईन किया जावेगा।

- (4) समस्त अभ्यर्थियों का हिन्दी टाईपिंग परीक्षण रेमिंगटन गेल फॉन्ट (REMINGTON GAIL FONT) में ही किया जावेगा। टाईपिंग कम्प्यूटर पर अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में की जावेगी।
- (5) ऑनलाईन परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर प्रदान किया जावेगा।

तीन:- मूल्यांकन पद्धति:-

अनरिस्ट्रिक्टेड मोड (Unrestricted Mode) में टाईपिंग संचालित किये जाने वाली परीक्षा की शुद्धता एवं गति की गणना निम्न अनुसार की जावेगी :-

- (1) अभ्यर्थी को टाईप किये जाने वाला मैटर/Text/Content, Computer Screen पर ऑनलाईन दिखाई देगा, जिसे देखकर उसे उसी Screen में निर्धारित समय में टाईप करना होगा।
- (2) Screen पर कितना समय शेष है व कितने शब्द शेष हैं, इसकी जानकारी अभ्यर्थी को मिलती रहेगी।
- (3) यदि अभ्यर्थी कोई शब्द को छोड़ देता है या गलत लिखता है तो कम्प्यूटर Screen पर वो शब्द लाल हो जायेंगे और यदि कोई शब्द छूट जाता है तो आगे के सभी शब्द लाल हो जायेंगे।
- (4) अभ्यर्थी यदि समय के पहले टाईपिंग कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसे Submit कर सकता है, अन्यथा 10 मिनट के बाद अपने आप Submit हो जाएगा।
- (5) अल्प विराम एवं पूर्ण विराम शब्दों के अंत में लगेंगे तो उन्हें उस शब्द का ही भाग माना जायेगा।

उदाहरणार्थ—“न्यायालय,” एक शब्द कहलायेगा।

- (6) **Content Words(CW):** The total number of words given in the content.
निहित शब्द— विषय वस्तु में दिये गये कुल शब्दों की संख्या।
- (7) **Gross Words(GW):** The total number of words (correct and incorrect) typed by the candidate.
कुल शब्द— अभ्यर्थी द्वारा टाईप किये गये शब्दों (सही और गलत) की कुल संख्या।
- (8) **Net Words(NW) :** The number of correct words typed by the candidate.
Net Words is calculated as: (Gross Words –Incorrect Words=Net Words)
शुद्ध शब्द— अभ्यर्थी द्वारा टाईप किये गये सही शब्दों की संख्या।
शुद्ध शब्दों की गणना इस प्रकार होगी – (कुल शब्द–अशुद्ध शब्द=शुद्ध शब्द)
- (9) **Net Words Per Minute(NWPM.):** Net Words/Time taken in minutes.
शुद्ध शब्द प्रतिमिनट – शुद्ध शब्द/टाईप करने में लगा हुआ समय (मिनटों में)
- (10) **Accuracy:** The number of correct words entered.
Accuracy of content is calculated as : $NW \times 100 / CW(\text{Content})$
परिशुद्धता – प्रविष्ट किये गये सही शब्दों की संख्या।
विषय वस्तु की परिशुद्धता की संगणना इस प्रकार होगी:-
शुद्ध शब्द प्रतिमिनट x 100/निहित शब्द (विषय वस्तु)
- (11) **Back Space:** Number of times the Backspace Key was pressed will be counted and 0.25 marks will be deducted from Accuracy for every Backspace Key Stroke.
बैक स्पेस— प्रत्येक 'बैकस्पेस-की' दबाने की आवृत्ति हेतु 0.25 अंक परिशुद्धता से घटाया जायेगा।

For Example: The content is of 350 Words and the candidate typed 250 Words out of which 10 Words are wrong typed and 10 Backspace Key is used by the candidate-

Then,

$$CW = 350 \quad GW = 250$$

$$NW = 250 - 10 = 240$$

$$\text{Accuracy} = NW \times 100 / CW$$

$$= 240 \times 100 / 350$$

$$= 68.57\%$$

$$\text{Convert into Marks(out of 40)} = (\text{Accuracy} \times 40) / 100$$

$$= (68.57 \times 40) / 100$$

$$= 27.42$$

$$\text{Final Score} = \text{Marks} - (\text{Backspace count} \times 0.25)$$

$$= 27.42 - (10 \times 0.25)$$

$$= 27.42 - 2.50$$

$$= \mathbf{24.92(\text{out of 40})}$$

उदाहरण:- विषय वस्तु 350 शब्दों की है, अभ्यर्थी ने 250 शब्द टाईप किये, जिसमें 10 शब्द गलत टाईप हैं और अभ्यर्थी द्वारा 10 बैकस्पेस-की दबाई गई है तब:-

$$\text{निहित शब्द} = 350 \quad \text{कुल शब्द} = 250$$

$$\text{शुद्ध शब्द} = 250 - 10 = 240$$

$$\text{शुद्धता} = \text{शुद्ध शब्द} \times 100 / \text{निहित शब्द}$$

$$= 240 \times 100 / 350$$

$$= 68.57\%$$

$$\text{अंको में परिवर्तन(कुल 40 में से)} = (\text{परिशुद्धता} \times 40) / 100$$

$$= (68.57 \times 40) / 100$$

$$= 27.42$$

$$\text{अंतिम प्राप्तांक} = \text{अंक} - (\text{बैकस्पेस की गणना} \times 0.25)$$

$$= 27.42 - (10 \times 0.25)$$

$$= 27.42 - 2.50$$

$$= \mathbf{24.92(\text{कुल 40 में से})}$$

प्रवेश पत्र — ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट एमपीऑनलाइन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

चार: — ऑनलाईन एवं ऑफलाईन परीक्षा का परिणाम :-

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-3 (ऑनलाईन), अनुवादक, सहायक ग्रेड-3(हार्डवेयर टेक्नीशियन), व ई.पी.ए.बी.एक्स.ऑपरेटर (ऑफलाईन) के पदों की परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों व मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन परीक्षा के पश्चात् अंतिम चयन सूची उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी। ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड/मार्कशीट एमपीऑनलाईन की वेबसाइट में प्रकाशित किये जावेंगे जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगी।

ऑफलाईन परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक उच्च न्यायालय की वेब साइट पर प्रकाशित किये जावेंगे।

टीपः— 1. ऑनलाईन परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अहर्ता एवं जानकारी :—

- (1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो—
 - (क) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - (ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।
 - (ग) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
 - (घ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)
- (3) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्तकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।
- (4) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।
- (5) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में मूल फोटो परिचय-पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय-पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।
- (6) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती हैं।
- (7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।
- (8) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (9) आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा., अनु.ज.जाति. एवं अ.पि.व.) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-7-13/2004/आ.-प्र./एक भोपाल, दिनांक 11.07.2005 में दिये गये निर्देशों के अध्यक्षीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।
- (10) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हों तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।

पांच: –


यात्रा व्यय का भुगतान— परीक्षा हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए सिर्फ एम0पी0 ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण परीक्षा में उपस्थित होने वाले किसी भी आरक्षित श्रेणी (ओ.बी.सी.,एस.सी.एवं एस.टी.) के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी:—

सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाईन परीक्षा की उत्तरपुस्तिका(रिस्पांस शीट) की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी एम0पी0ऑनलाईन की वेबसाईट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकता है एवं अन्य परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति उच्च न्यायालय से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकता है।

विनिष्ठीकरण:—

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर-पुस्तिकाओं/आन्सर शीट्स आवेदन-पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।


(मनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल